भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2918

उत्तर देने की तारीखः 18.03.2025

वीरशैव लिंगायतों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करना

2918. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का तेलंगाना राज्य के वीरशैव लिंगायतों (लिंग बलिजा) को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का विचार है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़े हैं;

(ख) क्या तेलंगाना के अधिकांश लोगों के पास कोई उचित शिक्षा नहीं है तथा वे किसी भी अध्ययन के लिए राजी नहीं हो पाते हैं और उनकी दयनीय स्थिति तथा सामाजिक पिछड़ेपन को देखते हुए, राज्य पिछडा वर्ग आयोग, आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2009 में वीरशैव लिंगायतों को राज्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्य के विभाजन के बाद, इसने पिछड़े वर्गों की मौजूदा सूची को अपनाया है और वर्ष 2015 में उन्हें बीसी सूची में शामिल करने के लिए सरकारी आदेश जारी किया है और तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2016 और 2021 में केंद्रीय ओबीसी सूची में अन्य समुदायों के साथ वीरशैव लिंगायत को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण, वीरशैव लिंगायत समुदाय को पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 28.02.2009 के सरकारी आदेश के तहत ग्रुप-डी के अंतर्गत क्रम संख्या 46 पर पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में शामिल किया गया था।

राज्य के विभाजन के बाद, पिछड़े वर्गों की मौजूदा सूची को तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.8.2014 के सरकारी आदेश के तहत कुछ संशोधनों के साथ अपनाया गया, जिसमें वीरशैव लिंगायत/लिंग बलिजा समुदाय को ग्रुप-डी के तहत क्रम संख्या 46 पर सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद, तेलंगाना सरकार ने दिनांक 09.09.2016 के अ.शा. पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) से उक्त समुदाय को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने का अनुरोध किया।

एनसीबीसी ने दिनांक 6.10.2023 के अपने परामर्श के तहत वीरशैव लिंगायत/लिंग बलिजा समुदाय को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की। 102वें और 105वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अधिनियमित होने के बाद, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी भी जाति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342क के प्रावधानों के अनुसार शामिल किया जाता है।

*****